

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 5 / 2015-2020

दिनांक: 27 मई, 2021

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 2.108 (ग) (iv) में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 2.108 (ग) (iv) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

मौजूदा पैरा 2.108 (ग) (iv)	संशोधित पैरा 2.108 (ग) (iv)
संबंधित अभिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रति प्रमाण पत्र शुल्क 200/- रु. से अधिक न हो	प्रति प्रमाण पत्र शुल्क 200/- रु.।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रति प्रमाण पत्र शुल्क 200/- रु. को अधिसूचित किया गया है।

अमित यादव
27/5/2021
(अमित यादव)

महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई-मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/93/180/28/एम-19/पीसी-II (ख)/ई-16025 से जारी)